



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।



☎ : 05942 - 235079, 233764 Fax, 235079, Email: eecdnaainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:-
सेवा में,

1922 / 18 mg

दिनांक:- 2 / 08 / 2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:-

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.00 कि०मी०) हेतु 3.555 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/141441/2021)

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2972 / FP/UK/ROAD/141441/2021 दिनांक 13.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/०६/१४२/२०२१/एफ०सी०/३०५ दिनांक २७.०५.२०२२ द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:-

- 1- शर्त संख्या-१ के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
- 2- शर्त संख्या-२ के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।

3- शर्त संख्या-३ प्रतिपूरक वनीकरण:-

(क) खण्ड द्वारा ७.११० हैक्टेयर, गैर वानिकी भूमि ग्राम हल्दयानी (बेतालघाट) में खसरा नं० २७५६ मध्ये जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक ८२/१२-ज्येड०ए०सी०/२०२०-२१ दिनांक २८.०१.२०२१ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार पर) रू० २९,००,८२३.०० (उनतीस लाख आठ सौ तेईस मात्र) वन विभाग के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैपट/आर०टी०जी०एस० चालान के माध्यम से दिनांक २४.०७.२०२३ को जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-१) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, ताकि प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

(ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि ग्राम हल्दयानी (बेतालघाट) में खसरा नं० २७५६ मध्ये ७.११० हैक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/ हस्तान्तरण जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक २९२८/१२-ज्येड०ए०सी०/२०२२-२३ दिनांक १०.०१.२०२३ के आधार पर अमल दरामद खतौनी में दर्ज करा दी गयी है। उक्त वन भूमि अधिसूचना सं० ८६९-६/६३८ दिनांक १७.१०.१८९३ तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं० १५०६/१४-७२-९७-८०० (II)/१९९७ दिनांक १७.०३.१९९७ के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन घोषित है, का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जा रहा है। इसमें कृपया अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-२ से ३)

(ग) इस बिन्दु से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न है। (संलग्नक-४)

(घ) इस बिन्दु से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न है। (संलग्नक-५)

- 4- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण १० वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं, मान्य है।

5- शर्त संख्या-5 शुद्ध वर्तमान मूल्य:-

(क) भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 35,73,522.00 (पैतीस लाख तिहत्तर हजार पांच सौ बाईस मात्र) की धनराशि 3.555 हेक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-6)

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक-7)

6- शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक-8)

7- शर्त संख्या-7 के अनुपालन में समस्त धनराशि ई-पोर्टल (<https://praivash.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित / जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक-6)

8- शर्त संख्या-8 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

9- शर्त संख्या-9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0-2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

10- शर्त संख्या-10 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

11- शर्त संख्या-11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।

12- शर्त संख्या-12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। (संलग्नक-9)

13- शर्त संख्या-13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

14- शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

15- शर्त संख्या-15 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।

16- शर्त संख्या-16 के अनुपालन में संबंधित प्रमाणीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।

17- शर्त संख्या-17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजनाओं के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

19- शर्त संख्या-19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

- 20- शर्त संख्या-20 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी, मान्य है।
- 21- शर्त संख्या-21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी, मान्य है।
- 22- शर्त संख्या-22 के अनुपालन पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप सेह तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पैधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधारी कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, मान्य है।
- 23- शर्त संख्या-23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय/ आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।
- 24- शर्त संख्या-24 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://praivash.nic.in>) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तनुसार 4-4 हार्ड प्रतियों में कुल 36 पृष्ठ।

भवदीय

(इं० संजय कुमार पाण्डे)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल के कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, देहरादून के पत्रांक 941/(1) X-4-18/1-05(4)/2014 दिनांक 26.09.2018 के तहत मोटर मार्ग के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने उपरान्त प्रभावित वृक्षों के पातन संबंधित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल।

आदेश

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ, रातीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 6 किमुपानी थानदेव सैमधार के सैम मन्दिर तक लिंक मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल की कुल 7.11 है० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी, कौश्यों कुटौली की आख्या दिनांक 04 जनवरी, 2021 एवं उसके साथ नायब तहसीलदार, बेतालघाट, राजस्व उपनिरीक्षक, जोशीखोला, लो०नि०विभाग के जेई व वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04-01-2021 के क्रम में ग्राम हल्दयानी, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के नॉन० ज्येड०ए० खतौनी श्रेणी 9(3)ड अन्तर्गत खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 2756 मध्ये रकबा 07.11 है० सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, बेतालघाट तदनुसार ही राजस्व अगिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, एवं याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन/सहमति उपरान्त जारी किया गया है।

(केलाश सिंह टोलिया)
अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 82/12-ज्येड०ए०सी०/2020-21

दिनांक 28 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल/अल्मोड़ा
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल।
- 3- उपजिलाधिकारी, कौश्यों कुटौली।
- 4- तहसीलदार, कौश्यों कुटौली।

(केलाश सिंह टोलिया)
अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

नकल छापीली NZA

mt-202-d

पत्रांक 142-8

मात्र रु. ५०००/-

परमगुरु धानियाहोय

सामयिक-वेत्ता-अध्यक्ष जिला मनीषा

क्रमांक नमबर	आवेदक का नाम पिता का नाम व निवासी स्थान	मासिक कमिशनरी प्रति होने का दर	प्रत्येक गाँव का कराच	शेषफल	तमान	व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकारी की पर जो सीमांत हवा में पेंडिंग कार्यवाही द्वारा प्रभावित हो	अन्य विवरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	श्रीमती वा (35) कुंज मोहन अन्य केन्द्र	16	014			व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकारी की पर जो सीमांत हवा में पेंडिंग कार्यवाही द्वारा प्रभावित हो						
		18	016									
		20	014									
		22	016									
		24	025									
		45	029									
		47	190									
		49	030									
		53	060									
		2735	044									
		2738	073									
		2747	013									
		2756	07524									
		2761	040									
		2766	073									
		2769	010									
		2772	011									
		2785	010									
		2789	010									
		2792	011									
		2799	024									
		2803	014									
		4036	008									
		4092	007									
		4115	009									
		4124	009									
		4126	005									
		4377	008									
		4382	041									
		4383										
		4384										
		448	009	047								

असल ज़रौनी है नकल कर
राजकीय कार्य हेतु जारी की जाती

18/03/2021

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nanded.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2000 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/141441/2021 जनपद नैनीताल में तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के 06 कि०मी० किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम हल्दयानी तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल में खाता खतौनी संख्या 29 के खसरा नम्बर 2756 मध्ये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त सिविल सोयम भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 82/12-ज्येड0ए0सी0/2020-21 दिनांक 28.01.2021 से हस्तान्तरित/आवन्तित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त वन भूमि अधिसूचना सं० 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं० 1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन घोषित है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

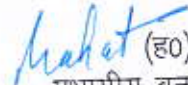
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

- परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी 0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन मंडल अधिकारी द्वारा उक्त परियोजना के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम हल्दयानी तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल में खाता खतौनी संख्या 29 के खसरा नम्बर 2756 मध्ये 7.110 है 0 सिविल सोयम भूमि के क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है ।


वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा, वन प्रभाग

 (ह 0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा ।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण । (FP/UK/ROAD/141441/2021)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

Neelam

(ह0)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

Project Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UK/ROAD/141441/2021 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/141441/2021	ROAD141441202153461	6141441534	27 May 2021	CA: 2900623.12/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 3573522/- Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 6479435.12/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by :20 Jul 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated :16 Jun 2023 On Transaction :24 Jul 2023 Date	Demand Letter C:\writereaddata\Fundpdf\19072022\21718184322_FP/UK/ROAD/141441/2021_User_Fund_Demanded_11349.pdf Generated Challan C:\UserAccount\Nft_Challan.aspx?pid=ROAD1414412021534
Construction of motor road in Km. 6 of Talla Ramgarh Raghath motor road of Kumpani Thandev to Sammandar of Samdhar in Distt. Nainital under State Sector.	FP/UK/ROAD/9471/2015 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/9471/2015	6194710850	17 Nov 2020	CA: 2015012/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 2524800/- Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4539672/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by :22 Sep 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated :23 Sep 2022 On Transaction :16 Nov 2022 Date	Demand Letter C:\writereaddata\Fundpdf\21092022\149109942_FP/UK/ROAD/94712015_User_Fund_Demanded_W6621.pdf Generated Challan C:\UserAccount\Nft_Challan.aspx?pid=ROAD94712015850
Satoli Kaphura motor road	FP/UK/ROAD/8248/2014 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/8248/2014	6182480280	17 Feb 2021	CA: 802498/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 791830/- Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1584328/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by :08 Feb 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated :09 Feb 2022 On Transaction :11 Feb 2022 Date	Demand Letter C:\writereaddata\Fundpdf\07022022\1526185527_FP/UK/ROAD/82482014_User_Fund_Demanded_84542.pdf Generated Challan C:\UserAccount\Nft_Challan.aspx?pid=ROAD82482014280
Darnoli-Pitholi motor road.	FP/UK/ROAD/39655/2019 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/39655/2019	6139655996	27 Jan 2021	CA: 631208/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 614952/- Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1246160/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by :07 Mar 2021 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated :08 Mar 2021 On Transaction :31 Mar 2021 Date	Demand Letter C:\writereaddata\Fundpdf\21126124712124CHF3dmondnotnawli.pdf Generated Challan C:\UserAccount\Nft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD396552019996
Construction of approach road from Nawali from Km. 11 of Laxmikhan-Nathuwaham-Pura-Quarab motor road to Loogayani in Ramgarh Block of District Nainital	FP/UK/ROAD/39655/2019 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/39655/2019	6139655996	27 Jan 2021	CA: 631208/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 614952/- Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1246160/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by :07 Mar 2021 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated :08 Mar 2021 On Transaction :31 Mar 2021 Date	Demand Letter C:\writereaddata\Fundpdf\21126124712124CHF3dmondnotnawli.pdf Generated Challan C:\UserAccount\Nft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD396552019996

Photo Copy Attested

Assistant Engineer

Construction Division

P.W.D., Nainital.

परियोजना का नाम:—जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.00 कि०मी०) हेतु 3.555 हैक्टर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं० FP/UK /ROAD/ 141441/2021)

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड—लो०नि०वि०
नैनीताल।



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल।

संलग्नक-8

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.00 कि०मी०) हेतु 3.555 हैक्टर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं० FP/UK /ROAD/ 141441/2021)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

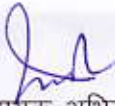

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-लो०नि०वि०
नैनीताल।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल।

संलग्नक-9

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.00 कि०मी०) हेतु 3.555 हैक्टर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं० FP/UK /ROAD/ 141441/2021)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में लागू नहीं इसलिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-लो०नि०वि०
नैनीताल।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल।